general price level and growth in per capita income. The Government would be managing the food emonomy including operation of buffer stock and distribution of foodgrains under PDS in such a way that the prices of foodgrains do not rise unusually high.

782. *[Transferred to 3rd December,* 1992.]

भारत में खेती के अयोग्य भूमि

783. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अधिकांश भूमि अभी खेती को जा सकने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और यह भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है;

(ग) वे कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भूमि खेती करने योग्य नहीं है; और

(घ) गत दो वर्षों में इसे खेती योग्य बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्यवार कितनी भूमि को खेती के योग्य बनाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। 41 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र जो कुल सूचित क्षेत्र का 13.4 प्रतिशत है, अकृष्य क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) अकृष्य भूमि में स्थायी चारागाह एवं पशुचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों के अधीन भूमि, खेती योग्य परती भूमि एवं वर्तमान बंजर भूमि को छोड़कर बंजर भूमि शामिल है। अपर्याप्त अवक्षेपण जल जमाव एवं लवणता की घटनाएं भूमि के अकृष्य होने के मुख्य कारण हैं।

(घ) विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित मृदा एवं जल संरक्षण योजनाओं के अधीन पिछले दो वर्षों के दौरान 4.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है। उपचारित भूमि का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1990-91 एवं 1991-92 के दौरान विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण उपायों के अधीन उपचारित भूमि का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	उपचारित भूमि (लाख हेक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	0.35
2.	असम	0.03
3.	बिहार	0.29
4.	गुजरात	0.09
5.	हरियाणा	0.29
6.	हिमाचल प्रदेश	0.14
7.	जम्मू और कश्मीर	0.03
8.	कर्नाटक	0.26
9.	केरल	0.02
10.	मध्य प्रदेश	0.79
11.	महाराष्ट्र	0.02
12.	उड़ीसा	0.13
13.	पंजाब	0.27
14.	राजस्थान	0.75
15.	सिक्किम	0.06
16.	तमिलनाडु	0.14
17.	त्रिपुरा	0.01
18.	उत्तर प्रदेश	0.65
19.	पश्चिम बंगाल	0.05
20.	दिल्ली	0.01
	कुल :	4.38